शासनादेश संख्या-2/2020/बी-2-26/दस-2020-2/2019
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-03/2015

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2020

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

अवगत कराना है कि पूर्व में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की जिला पंचायतों के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम चार माह हेतु धनराशि **रूपये 72577.34 लाख** शासनादेश संख्या-13/2019/बी-2/556/दस-2019-2/2019, दिनांक 09 सितम्बर, 2019 द्वारा **निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर रखी गयी है।**

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 232000.00 लाख की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर 94.85% धनराशि में से 1% परिक्रमी निधि की धनराशि को घटाते हुए अवशेष 93.85 धनराशि **रूपये 217732.00 लाख में से द्वितीय चार माह (माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) हेतु रूपये 72577.34 लाख (रूपये सात सौ पच्चीस करोड़ सत्हत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	72577.34 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

(3) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(5) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-2/2020/बी-2-26(1)/दस-2020-2/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 2/2020/बी-2-26 /दस-2020-2/2019दिनांक 27 जनवरी,2020 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक में जिला पंचायतों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त चार माह (अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) के लिए व्यवस्थित धनराशि के आवंटन का फाँट

अनुदान संख्या-61

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन -

196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन -

(धनराशि लाख में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	चार माह की आवंटित धनराशि (द्वितीय किस्त)
1	2	3
1	मेरठ	976.89091
2	बागपत	735.93416
3	गाजियाबाद	875.28264
4	गौतमबुद्धनगर	722.87024
5	बुलन्दशहर	1190.26827
6	हापुड़	897.78161
7	सहारनपुर	1145.27032
8	मुजफ्फर नगर	1032.77545
9	शामली	651.74445
10	आगरा	1175.02703

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	फिरोजाबाद	883.99192
12	मथुरा	924.63523
13	मैनपुरी	799.80221
14	अलीगढ	1116.96516
15	हाथरस	763.51355
16	एटा	754.80427
17	कांसगंज	661.90528
18	मुरादाबाद	817.22077
19	अमरोहा	744.64344
20	रामपुर	810.68881
21	बिजनौर	1305.66623
22	सम्भल	815.76923
23	बरेली	1196.80023
24	बदायूं	1057.45175
25	शाहजहांपुर	1023.34040
26	पीलीभीत	864.39604
27	लखनऊ	1038.58828
28	रायबरेली	934.79605
29	सीतापुर	1647.50547
30	हरदोई	1479.12605
31	खीरी	1492.18997
32	उन्नाव	1147.44764
33	बस्ती	941.32801
34	सिद्धार्थनगर	918.10327
35	सन्त कबीर नगर	726.49911
36	गोरखपुर	1368.08273
37	देवरिया	1077.04763

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

38	कुशीनगर	1225.83116
39	महराजगंज	978.34245
40	अयोध्या	975.43936
41	बाराबंकी	1262.11983
42	सुल्तानपुर	993.58369
43	अम्बेडकर नगर	934.79605
44	अमेठी	1006.64761
45	गोण्डा	1212.04147
46	बलरामपुर	799.07644
47	बहराइच	1132.20640
48	श्रावस्ती	514.57329
49	मिर्जापुर	1022.61463
50	संत रविदास नगर	690.93621
51	सोनभद्र	1018.98576
52	वाराणसी	959.47235
53	चन्दौली	787.46407
54	गाजीपुर	1266.47447
55	जौनपुर	1589.44360
56	प्रयागराज	1725.88899
57	कौशाम्बी	784.56097
58	प्रतापगढ़	1172.84971
59	फतेहपुर	1013.90535
60	आजमगढ	1603.23329
61	मऊ	802.70531
62	बलिया	1117.69093
63	कानपुर नगर	764.23932
64	कानपुर देहात	909.39399

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

65	फर्रूखाबाद	756.98159
66	इटावा	723.59601
67	कन्नौज	727.95065
68	औरैया	704.72591
69	झांसी	757.70736
70	जालौन	679.32384
71	ललितपुर	687.30735
72	हमीरपुर	594.40836
73	बांदा	758.43313
74	चित्रकूट	639.40631
75	महोबा	566.82897
	महायोग&	**72577.34000**

(रू. सात सौ पच्चीस करोड सतहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।